

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना  
सं० 30/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 20 मार्च, 2018

सा०का०नि० (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 27/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का. नि. 153 (अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“65.	1701	कच्ची चीनी, सफेद या परिष्कृत चीनी	शून्य”.

(फा.सं. 354/260/2015 -टीआरयू)

(मोहित तिवारी)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 27/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, सा.का.नि. 153 (अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 23/2018-सीमा शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 सा.का.नि. 126(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में अंतिम बार संशोधित की गई थी ।